न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/245
मिसल नम्बर–70/2024

1.संतोष कुमार पुत्र श्री एन0 के0 सक्सेना जाति कायस्थ व्यवसाय वकालत निवासी मकान नम्बर 1 बी 34 एसएफएस तलवंडी कोटा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.नन्द किशोर पुत्र गणेश जाति माली निवासी ग्राम रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 11/5/26

उपस्थिति:–

1.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
2.श्री बद्री प्रकाश शर्मा अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता।
3.श्री शम्भूदयाल विजय अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम चडीन्दा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 349 की 2.37 है0 कृषि आराजी स्थित हैं। प्रार्थी उपरोक्त भूमि को पांती एवं मुनाफे पर काश्त करवाता है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में 2 ट्यूबवेल लगे हुये है। प्रार्थी के खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि के पूर्व मे खसरा नम्बर 350 की 2.2700 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिपक्षी नं० 1 के खाते में दर्ज है। ग्राम चडीन्दा तहसील लाडपूरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 356 की 0.3800 हेक्टर, खसरा नम्बर 385/318 की 0.3700 हेक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि में ग्राम खेडा रसूलपुर से ग्राम जगन्नाथपुरा जाने वाला रोड है । उक्त रोड मनरेगा में बनाया गया है। उक्त, रोड पूर्व में कच्चा था जो आस पास के समस्त काश्तकारान द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जाता रहा है। उपरोक्त भूमि वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा प्रतिपक्षी नं० 2 के खाते में दर्ज है। प्रार्थी उसके खाते व कब्जे की ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चडीन्दा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 349 की 2.3700 हेक्टर भूमि में ग्राम खेडा रसूलपुर से जगन्नाथपुरा जाने वाले रोड से होकर प्रतिपक्षी के खाते खसरा नम्बर 350 की 2.2700 हेक्टर भूमि में दक्षिणी मेड के सहारे 2 स्थित 15 फीट भूमि में होकर आता जाता है प्रार्थी एंव प्रार्थी के मजदूर व हाली उपरोक्त भूमि में होकर कृषि उपकरण लाते ले जाते है तथा तैयार शुदा फसल को ट्रेक्टर ट्रोली से मण्डी तक ले जाते है। उपरोक्त रास्ते से होकर प्रार्थी के खेत की हंकाई जुताई एंव कटाई हेतु कल्टीवटर, हेरो, डिसप्लाउ, सीडड्रिल, लेवलर एवं कम्बाइड, हारवेस्टर लेकर आते जाते है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि का गत कई वर्षो से रास्ते के रूप मे उपयोग में ले रहा है। तथा वर्तमान में भी रास्ते के रूप में उपयोग में ले रहा है। यहीं यह भी उल्ल्खेनीय है कि खसरा नम्बर 350 की भमि में फसल बोने से पूर्व प्रार्थी की भूमि हंकाई जताई एंव बुवाई की जाती है तथा प्रतिपक्षी नं० 1 के खाते की खसरा नम्बर 350 की भूमि मे फसल करने के बाद प्रार्थी एंव प्रार्थी के प्रतिनिधि हाली ग्वाल पांतीदार अपने खाते की उपरोक्त भूमि की फसल मंडी तक ले जाते है। प्रार्थी के खाते व कब्जे के उपरोक्त भुमि में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपल्ध नहीं है। दिनांक 26–6–2024 को प्रार्थी का पांतीदार चन्द्र प्रकाश आत्मज छीतरलाल जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा बारिश हो जाने के बाद उपरोक्त भूमि में होकर बोने के लिये धान की बीज ट्रेक्टर ट्रोली से लेकर जाने लगा तो प्रतिपक्षी न० 1 उपरोक्त भूमि में स्थित रास्ते में होकर जाने से मना कर दिया तथा आयन्दा नहीं निकलने देने की धमकी दी। प्रतिपक्षी नं0 1 नियमानूसार मुआवजा राशि लेकर प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मे होकर 15 फीट चोडा इन्टु 620 फीट लम्बा रास्ता उपलब्ध कराने को तैयार नही है। प्रार्थी जो भी मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जावेगी. उसे अदा करने को तत्पर व तैयार है। वर्णित परिस्थितियों में प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मे होकर रास्ता कायम करवाना आवश्यक हो गया है। ग्राम चड़िन्दा की खसरा नम्बर 356 की 0.3800 हेक्टर एंव खसरा नम्बर 385/318 की 0.37 हेक्टर भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज है अतः नगर विकास न्यास कोटा को बतौर प्रतिपक्षी न० 2 पक्षकार बनाया गया है। भूमि की लेण्ड होल्डर होने से राजस्थान सरकार को बतौर प्रतिपक्षी नं0 3 पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 26–6–2024 को बारिश के पश्चात् प्रार्थी को प्रतिपक्षी नं0 1 द्वारा प्रार्थी एवं उसके कर्मचारी को उपरोक्त रास्ते का उपयोग करने से रोकने पर एवं जरिये न्यायालय रास्ता कायम करवाने की कार्यवाही करने की कहने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थी खसरा नम्बर 350 की 2.27 हेक्टर भूमि में स्थित 15 फीट चोडे एवं लगभग 620 फीट लम्बाई में रास्ते की भूमि का मुआवजा नियमानुसार प्रतिपक्षी नं० 1 को अदा करने को तैयार है। रास्ते बाबत तहसीलदार/भूअभिलेख निरीक्षक से पक्षकारान की मौजूदगी में रिपोर्ट तलब किया जाना कानूनन आवश्यक है अतः रास्ते बाबत सक्षम अधिकारी से रिपोर्ट तलब फरमायी जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नम्बर 349 की 2.37 हेक्टर भूमि हेतु प्रतिपक्षी नं0 1 के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 350 की 2.2700 हेक्टर भूमि में दक्षिणी मेर के सहारे सहारे 15 फीट चोडा एंव लगभग 620 फीट लम्बा रास्ता कायम किया जाकर प्रतिपक्षी नं 1 को नियमानुसार मुआवजा दिलवाया जाकर राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में तदनुसार रास्ते का इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमाने कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खेडारसूलपुर से जगन्नाथपुरा जाने वाला रोड डामर की सडक है, जो कि मण्डी कमेटी एवं PWD द्वारा निर्माण किया हुआ है, मनरेगा में उक्त सडक पर कोई कार्य नहीं किया गया है। उक्त रास्ता कई वर्ष से डामर का रास्ता है, जो कि खेडा रसुलपर से चलकर भोजपुरा, चढीन्दा होता हुआ जगन्नाथपुरा जाता है,उक्तरास्ता उक्त सभी ग्रामों को नेशनल हाईवे 27 से जोडता है। प्रार्थी का यह कथन कि उक्त रास्ते में से प्रतिपक्षी क्रम 1 के खेत में निकलता हो,गलत है,जबकि वास्तविकता में प्रार्थी उक्त सडक रास्ते में से खसर नम्बर 295 में होकर अपने खेत पर आता–जाता है, जो रिर्पोट पटवारी, तहसीलदार, द्वारा पेश की गई है, उससे भी प्रमाणित है कि प्रार्थी प्रतिपक्षी क्रम 1 की खाते की आराजी खसरा नम्बर 350 में से नहीं आता–जाता है, बल्कि सडक से खसरा नम्बर 295 में होता हुआ खसरा नम्बर 329 एव 328 के रास्ते में होता हुआ अपने खेत पर पहुंचता है, जो मार्ध वर्तमान में चालु है। प्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के मजदूर, हालीयों को उक्त भूमिं में होकर कृषि उपकरण लाते–ले जाते है, तथा ट्रेक्टर ट्रोली से मण्डी तक ले जाते है, उपरोक्त रास्त से होकर खेत की हंकाई–जुताई करते है, तथा प्रार्थी उपरोक्त भूमिं से गत वर्षों से रास्ते के रूप में काम ले रहा है, तथा वर्तमान में भी रास्ते के रूप में उपयोग में ले रहा है । उक्तसभी तथ्य गलत, निराधार है, प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 350 की भूमिं को कभी भी न तो रास्ते के रूप में काम लिया है, और न ही प्रार्थी की भूमिं में से होकर अपने खाते की कृषि भूमि में कृषि कार्य करने हेतु निकलता है, और न ही प्रार्थी के ट्रेक्टर ट्रोली या कृषि उपकरण ही प्रतिपक्षी क्रम 1 की आशाजी से निकलते है। यहां यह भी स्पष्ठ करना आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 349 वाके ग्राम चढीन्दा में आने–जाने हेतू रास्ता पूर्व में एवं वर्तमान में खसरा नम्बर 295 मूख्य सड़क से खसरा नम्बर 329 की पूर्वी मेढ से दक्षिणी मेड होते हुये खसरा नम्बर 328 की पश्चिमी मेढ से अपनीखातेदारी की भूमिं खसरा नम्बर 349 पर पहुंचते है, तथा वर्तमान में भी प्रार्थी अपनी आरीजी पर कृषि कार्य करने हैतु उक्त वर्णित रास्ते को ही काम में लेता आ रहा है, तथा उक्त रास्ता वर्तमान में भी चालू है तथ आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, इस बात का हवाला मौका रिर्पोट तहसीलदार लाडपुरा पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई है, उसमें भी स्पष्ठ किया गया है कि प्रार्थी के पास अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 349 पर पहुंचने का वर्तमान रस्ता खसश नम्बर 295, 329,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

328 से होकर जाता है, जो वर्तमान में चालु है, आवागमन में कोई अवशेध नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, झूंठा एवं गलत है, क्योंकि पालना रिर्पोट पटवारी, कानुनगो, तहसीलदार के आधार पर भी स्पष्ठ रूप से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी के खेत पर आने–जाने हेतू वर्तमान में आवागमन रास्ता चालू है, तथा आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। प्रार्थी के पास अपने खेत पर कूषि कार्य करने हेतु आने–जाने के लिये रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में अकारण ही नये रास्ते की मांग करना कानूनन गलत है, तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 को तंग एवं परेशान करने की गज से प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा किसी को भी धान का बीज टैक्टर ट्रोली में ले जाते हुये नहीं रोका है, क्योंकि प्रतिपक्षी क्रम 1 के खेत में से कभी भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति नहीं निकलता है, और न ही वहां पर किसी प्रकार का कोई रास्ता है। दिनांक 26–06–2024 को प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी या उसके किसी कर्मचारी का कोई रस्ता नहीं रोका गया है न ही न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा गया है, झूंठा वादकारण अंकित किया गया है, प्रार्थी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, वाद कारण के अभाव, में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 349 में पहुंचने का वेकल्पिक मार्ग चालु स्थिति में उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते की भमिं में से रास्ते की मांग करना अनुचित एवं निराधार है। प्रार्थी के द्वारा खसरा नम्बर 349 में जाने हेतु प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते की भमि खसरा नम्बर 350 में से जो रास्ते की मांग की भई है वह बेबुनियाद है, क्योंकि प्रार्थी के पास अपने खाते की भूमि खसर नम्बर 349 में आने–जाने हेतु पूर्व में ही मुख्य सडक से लगे हुये खसरा नम्बर 295, 329, 328, में से आजे–जाने, कृषि कार्य करने, कृषि जीन्स निकालने, ट्रैक्टर–ट्रोली लाने–ले जाने हेतु 20 फिट चौडां निकटतम रास्ता उपलब्ध हैं, जिसमें से प्रार्थी के अलावा अन्य आस पास के किसान भी निकलते आ रहे है, तथा उक्त रास्ता वर्तमान मे भी चालु है, आवागमन में कोई अवरोध नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी खतेदार खसशा नम्बर 349 के द्वारा प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते से जो रास्ते की मांग की जा रही है वह गलत एवं बेबुनियाद है। उक्त प्रार्थनापत्र सव्यय खरिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त् की गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी श्री संतोष कुमार सक्सेना की खातेदारी भूमि ख0नं0 349 रकबा 2.3 हेक्टयर जिसमें प्रार्थी द्वारा ख0नं0 385/318 एवं 356 पर बनायी गयी नयी सडक से अप्रार्थी श्री नन्दकिशोर की खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 350 रकबा 2.27 हेक्टयर की दक्षिणी मेर से सीधा निकटतम रास्ता चाहा गया है वर्तमान में प्रार्थी ख0नं0 295 मुख्य सडक से ख0नं0 329 की पूर्वी मेर से दक्षिणी मेर होते हुए ख0नं0 328 की पश्चिमि मेर से अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 349 पर पहुंचते है। सुलभ संदर्भ हेतु मानचित्र पर नयी बनी सडक पीले रंग से प्रार्थी की भूमि एवं चाहा गया पंहुच मार्ग केसरिया रंग

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

से एवं प्रार्थी के खेत पर पहुंचने का वर्तमान रास्ता हरे रंग से दर्शाया दिया गया है वर्तमान रास्ता चालू है। आवागमन में कोई अवरोध नहीं है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से मुख्य रू॰ से यह बहस की गई कि प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुॅच हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जावे। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संशोधित धारा 251–क से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई काश्तकार या काश्तकारों का समूह किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर अपने खाते या अपने खाते तक पहुॅचने के लिए नया रास्ता या मौजूदा रास्ते को बडा या चौडा करने का इरादा रखता है और मामला आपसी सहमति से तय नही होता है तो काश्तकार संबंधित उपखण्ड अधिकारी को ऐसी सुविधा के लिए आवेदन कर सकते है और उपखण्ड अधिकारी जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि आवश्यक परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आनंद के लिए नही है एवं विशेष रूप से अन्य खातेदार की जोत के बीच से नया रास्ता बनाने की स्थिति में यह सिद्ध हो जाने पर कि पहुंच के वैकल्पिक साधनो का अभाव है, आदेश द्वारा आवेदक को नया रास्ता बनाने की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्थान राजपत्र, सितम्बर 06, 2023 के अनुसार **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर," प्रतिस्थापित की जायेगी।**

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र तथा उभयपक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। मौका निरीक्षण एवं तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानचित्र में अंकित बिन्दु ए से बिन्दु बी होकर बिन्दु सी तक कच्चा रास्ता (गडार) बना हुआ है। बिन्दु सी से बिन्दु डी तक कोई रास्ता नही है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कथन किया है कि प्रार्थी के खेत पर पहुंचने का वर्तमान रास्ता हरे रंग से दर्शाया दिया गया है वर्तमान रास्ता चालू है। आवागमन में कोई अवरोध नहीं है। चूंकि प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

251 क के तहत प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत पहुॅच के वैकल्पिक साधनों का अभाव होने पर खातेदार की जोत तक नया रास्ता बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है। बिन्दु ए से बिन्दु सी तक कच्चा रास्ता (गडार) बना हुआ है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस कारण से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 251 (क) के तहत प्रार्थी को बिन्दु ए से बिन्दु बी एवं बिन्दु सी से होते हुये बिन्दु डी तक या बिन्दु ई से बिन्दु एफ तक रास्ता दिलाया जाना चाहिए। धारा 251 क के तहत सबसे छोटा एवं निकटतम रास्ता दिलाये जाने का प्रावधान है। यदि प्रार्थी को बिन्दु ए से बिन्दु बी एवं बिन्दु सी से होते हुये बिन्दु डी (प्रार्थी के खेत खसरा नं0 349) तक रास्ता दिलाया जाता है तो इस मार्ग की लम्बाई बिन्दु ई से बिन्दु एफ तक उपलब्ध कराये गये मार्ग से अधिक होगी जो धारा 251 क के प्रावधानों के विपरीत है। जिस कारण से प्रार्थी के खेत खसरा नं0 349 भूमि पर पहुॅचने हेतु रास्ता मानचित्र में अंकित बिन्दु ई से बिन्दु एफ (सबसे छोटा एवं निकटतम मार्ग) तक दिलाया जाना न्यायोचित है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 349 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 350 में से 4 मीटर चौडाई में प्रार्थी की आराजी की पहुॅच तक मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के क्षेत्रफल की गणना कर 1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन के अनुसार प्रार्थी की भूमि से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के समान कीमत की भूमि का अंतरण अप्रार्थी नं0 1 की भूमि से लगी हुई भूमि (जिसे मानचित्र में बिन्दु एच से बिन्दु एफ के रूप में दर्शाया गया है।) में किया जावे। तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एवं नक्शा लट्ठा में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा